

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

जगन्नाथी बाई पत्नि स्व. केशुराम मेनारिया निवासी निमोदड़ा, पं. स. डूंगला
बनाम

लीला बाई पत्नि माधवलाल मेनारिया निवासी निमोदड़ा, पं. स. डूंगला वगैरा

प्रकरण संख्या 25/2018 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.07.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार अनुपस्थित। अधिवक्ता गैर निगराकार उपस्थित। रुक-रुक कर तीन-चार बार आवाजें लगवाई गईं फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में पुनः रुक-रुक कर आवाजें लगवाने पर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख पुनः लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	